झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
पंचम(बजट)–सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक– 28 माघ, 1937 (श0) / 17 फरवरी, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
12.	अ0सू0–08	श्री राज सिन्हा	पेय जलापूर्ति करना	पेय0 एवं स्वच्छता	10.02.16
13.	अ0सू0–09	श्री अनन्त कुमार ओझा	पेय जलापूर्ति करना	पेय0 एवं स्वच्छता	10.02.16
14.	अ0सू0–02	श्री राधाकृष्ण किशोर	इंदिरा आवास को पूर्ण करना	ग्रामीण विकास	10.02.16
15.	अ0सू0–06	श्री बिरंची नारायण	सुविधा उपलब्ध कराना	ग्रामीण विकास	10.02.16
16.	अ0सू0–05	श्री बिरंची नारायण	प्रशिक्षण की व्यवस्था करना	ग्रामीण विकास	10.02.16
17.	अ0सू0–01	श्री राधाकृष्ण किशोर	योजना को चालू करना	ग्रामीण विकास	10.02.16
18.	अ0सू0–03	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पेय जलापूर्ति करना	पेय0 एवं स्वच्छता	10.02.16
19.	अ0सू0–04	श्री सुखदेव भगत	पेयजल की आपूर्ति	पेय0 एवं स्वच्छता	10.02.16
20.	अ0सू0–10	श्री कुणाल षड़ंगी	यतायात की व्यवस्था	परिवहन	10.02.16

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

राँची
दिनांक–17 फरवरी, 2016 ई0।

कृ0पृ030/–

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-...762.../वि0स0, राँची, दिनांक-14 फरवरी, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

14.02.16

(अनिल कुमार)

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-...762.../वि0स0, राँची, दिनांक-14 फरवरी, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

14.02.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-...762.../वि0स0, राँची, दिनांक-14 फरवरी, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

14.02.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

एक्का/-

(12)

श्री राज सिन्हा, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 17.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्र० सं० – अ० सू० - 08 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि सेन्ट्रल वाटर बोर्ड, मैथन द्वारा मैथन डैम से धनबाद शहर को कम मात्रा में पीने हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।	डी० वी० सी० के मैथन डैम से पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा है। प्राप्त जल से धनबाद शहर में औसतन 35 मिलीयन लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि सेन्ट्रल वाटर बोर्ड, मैथन द्वारा मैथन डैम से पश्चिम बंगाल को सिंचाई हेतु प्रतिदिन पानी उपलब्ध करायी जा रही है।	डी० वी० सी० से सम्बन्धित है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैथन डैम से धनबाद के निवासियों को आवश्यकत मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	खण्ड 1 में स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–07/अ० सू० – 02 – 11/2015 - 721 दिनांक :– 16/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० 265 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–07/अ० सू० – 02 – 11/2015 - 721 दिनांक :– 16/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा - 05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

16/02/16

माननीय विधायक श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या ~~मेय–~~09 का उत्तर

13

क्र.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज, राजमहल एवं उधवा गंगा किनारे अवस्थित है, जो पेयजल दृष्ट्रिकोण से फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्र है?	स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि बरहेट प्रखण्ड फ्लोराईड प्रभावित है, राजमहल एवं साहेबगंज, उधवा प्रखण्ड आर्सेनिक प्रभावित है।
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला में आर्सेनिक की मात्रा गंगा नदी के तट पर अनुमान्य सीमा 0.01 PPM से अधिक पाया गया है तथा आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण वहॉ के स्थानीय आमजन खतरनाक बीमारी के चपेट में आ रहे है?	स्वीकारात्मक। राजमहल एवं साहेबगंज एवं उधवा प्रखण्ड आर्सेनिक प्रभावित है।
3	क्या यह बात सही है कि जिला में "मेगा वाटर सप्लाई योजना" के तहत स्थानीय आमजन को आजतक शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है?	स्वीकारात्मक। साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना की प्राक्कलित राशि 138.7704 करोड़ रूपये है जिसमें अब तक 106.46 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है। बरहेट प्रखण्ड में साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना के तहत ट्रायल रन प्रारम्भ कर दी गयी है, जिससे 24 टोलों के 26517 ग्रामीण आबादी लाभान्वित हो रही है। राजमहल प्रखण्ड में Conventional Intake Well का निर्माण तकनीकी कारणों से नहीं हो सका। अतएव वहाँ पर गंगा नदी में स्त्रोत के रूप में Jetty का निर्माण ऐजेन्सी (L&T) के द्वारा कराया गया, जो राजमहल में प्राप्त हो गया है। मार्च 2016 के अंतिम सप्ताह तक ट्रायल रन प्रारम्भ होगा। इसके चालू होने से 25 टोलों के 16625 ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र साहेबगंज प्रखण्ड के ग्रामों में योजना का लगभग WTP को छोड़ कर सभी अवयव पूर्ण हो चुके हैं। WTP हेतु भूमि भारतीय रेल से प्राप्त नहीं थी। वर्त्तमान में रेलवे ने अन्य वैकल्पिक स्थल हेतु अपने पत्रांक W-6/Lease License/P(SBG)/516 दिनांक 19.10.2015 से सैद्यांतिक सहमति दी है। विधिवत आवेदन पत्र Online प्रेषित है। मुख्य अभियंता PMU द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रेल, कोलकाता से समन्वय किया गया। भारतीय रेलवे के पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त क्षेत्र भ्रमण दिनांक 25.01.2016 को किया गया है। जून 2016 तक अनुमति प्राप्त होने की संभावना है। आशा है कि मार्च 2017 तक WTP का निर्माण कर इसे चालू किया जा सकेगा। इसके चालू होने से 24 टोलों के 29500 ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला के फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्र में अविलम्ब शुद्ध पेयजल आपूर्ति की स्थायी समाधान कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही	साहेबगंज जिलान्तर्गत फ्लोराईड एवं आर्सेनिक प्रभावित टोलों में अल्प अवधि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतुः–

	तो क्यों?	1. फ्लोराईड प्रभावित टोलों में पूर्व से निर्मित नलकूपों के साथ 35 अद्द Defluoridation Treatment Plant Attachment with 3 years O&M की निविदा प्राप्त हो चुकी है। कार्यादेश फरवरी 2016 में निर्गत कर दी जायेगी। 2. आर्सेनिक प्रभावित टोलों में 35 अद्द Arsenic Removal Plant Attachment with 3 years O&M का कार्यादेश मार्च 2016 तक निर्गत किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(अ0सू0)प्र0सं0–01 /2016 (पेय0) 327/SWSM दिनांक 16-2-2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 264 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(अ0सू0)प्र0सं0–01/2016 (पेय0) 327/SWSM दिनांक 16-2-2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

NRDWP, Mukesh

(14)

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 17.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष–2014–15 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि–66315.81 लाख रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष के अंत तक मात्र 32862.69 लाख रूपये व्यय किये गये थे।	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल उपलब्ध राशि 65437.33 लाख रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष के अंत तक 39477.56 लाख रूपये का व्यय किया गया था।
2.	2. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष–2014–15 में 49701 इंदिरा आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 4000 इंदिरा आवास का निर्माण कार्य दिसंबर 2015 तक पूरा नहीं किया गया है।	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष–2014–15 में कुल 60598 इकाई आवास पूर्ण हुए हैं।
3.	3. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष–2015–16 में 54700 नए इंदिरा आवास निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध दिसंबर 2015 तक एक भी इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 41901 इकाई इंदिरा आवास का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त है। इंदिरा आवास का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है।
4.	4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि 2014–15 तथा 2015–16 के लक्ष्य को पूरा नहीं किये जाने का क्या औचित्य है तथा अधूरे इंदिरा आवास के निर्माण कार्य कब तक पूरा कराना चाहती है।	इंदिरा आवास योजना अंतर्गत लाभुकों द्वारा स्वयं इंदिरा आवास का निर्माण कराया जाता है। लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 26968 इंदिरा आवास का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 897 दिनांक 16/02/16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–11/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 256/वि0स0 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/2016

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 897 दिनांक 16/02/16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–11/2016

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/2016

सरकार के अवर सचिव।

(15)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या ~~***~~–06 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो विधानसभा अन्तर्गत 20 गाँव यथा पचौरा, वैधमाँरा, कनपट्टा, महेशपुर, महुआर, पिपराटांड़, शिबूटांड़, कुनडोरी, बोरोटांड़, जरिडीह, बनसिमली इत्यादि ऐसे गाँव हैं जिन्हें पंचायत व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है ?	स्वीकारात्मक है । प्रश्नगत क्षेत्र बी0एस0एल0 के लिए अधिग्रहित कर हस्तांतरित की जा चुकी है ।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त 20 गाँवों में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित सी0एस0आर0 से यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं होता है जबकि बी0एस0एल0 ने इनकी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कर लिया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । यद्यपि उक्त भूमि बी0एस0एल के लिए अधिग्रहित कर उसे हस्तांतरित की जा चुकी है किन्तु आज भी उक्त ग्रामों/टोलों के परिवारों द्वारा जमीन नहीं छोड़ी गई है । हालाँकि उनके पुनर्वास हेतु जमीन सुरक्षित है किन्तु विभिन्न कारणों से वे उन पुनर्वास क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं ।
(3) क्या यह बात सही है कि इन 20 गाँवों के लोगों को केवल वोटर कार्ड उपलब्ध है, जिससे वे अपना विधायक एवं सांसद चुन सकते हैं, परन्तु ये लोग अपने लिए मुखिया एवं अन्य पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर सकते हैं, जबकि संविधान में 73वें संशोधन के आलोक में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था कायम करना अनिवार्य किया गया है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । उपरोक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विषय की गंभीरता को देखते हुए वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप उक्त 20 गाँवों के समुचित विकास हेतु इन्हें विभिन्न पंचायतों में शामिल कर यहाँ नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है । प्रश्नगत गाँवों की भूमि बी0एस0एल0 को हस्तांतरित की जा चुकी है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भूमि का स्वामीत्व बी0एस0एल0 में निहित कर दिया गया है एवं इसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर किया गया है । अतएव वर्तमान में आलोच्य गाँवों को पंचायत में शामिल किया जाना संभव नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–66/2016–550–/, राँची, दिनांकः–16.2.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 254 दिनांक 10.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0)–66/2016–550–/, राँची, दिनांकः– 16.2.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

16/2/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–66 / 2016—————550——————/, राँची, दिनांकः– 16.2.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (**OASYS**), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

(16)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 17.02.2016 को पूछा जाने वाला
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या बात सही है कि राज्य में पंचायती राज के लिए नये स्तर से चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 50 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि चुनकर आयें हैं.,	स्वीकारात्मक
(2) क्या यह सही है कि प्रतिनिधियों के समुचित प्रशिक्षण के लिये अब तक राशि का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं हो सका है.,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है । माह दिसम्बर 2015 के अंत में निर्वाचन प्रक्रिया पुरी हुई है । अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजटीय उपबंध से नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–01 स्था0–(वि0)–65/2016–544–/, राँची, दिनांकः–16.2.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 253 दिनांक 10.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01 स्था0–(वि0)–65/2016–544–/, राँची, दिनांकः–16.2.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

16/2/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01 स्था0–(वि0)–65/2016–544–/, राँची, दिनांकः–16.2.16

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/2/16
सरकार के अवर सचिव

(17)

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 17.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	1. क्या यह बात सही है कि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत लाभुकों को केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं यथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना इत्यादि का लाभ उपलब्ध कराया जाना है, जबकि झारखण्ड प्रदेश में इंदिरा आवास के लाभुकों को केन्द्र सरकार की उक्त योजनाओं से अभी तक नहीं जोड़ा गया है।	अस्वीकारात्मक
2.	2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि झारखण्ड प्रदेश में इंदिरा आवास के लाभुकों को खंड–1 में वर्णित केन्द्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का विचार रखती है, यहर हाँ , तो कब तक, नही तो क्यों ?	इंदिरा आवास योजना अंतर्गत लाभुकों को मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, उन्नत चूल्हा अभियान योजना इत्यादि का अभिसरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से मनरेगा श्रमिक तथा अन्य लाभुक वर्ग को आच्छादित करने संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में बी0पी0एल0 आई0ए0वाई0 लाभुकों को भी उस योजना का लाभ देने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 891 दिनांक 16/02/16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–10/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 255/वि0स0 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/2016.
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 891 दिनांक 16/02/16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–10/2016

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/2016.
सरकार के अवर सचिव।

माननीय विधायक श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.02.2016 का पूछा जान वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–03 का उत्तर (18)

<table>
<tr><th>क्रं</th><th>क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–</th><th>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अंतर्गत खलारी बाजार तथा आस–पास के क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है, जिससे आम नागरिकों को काफी कठिनाईयॉ हो रही है?</td><td>वस्तु स्थिति यह है कि खलारी पंचायत की कुल जनसंख्या 5238 है। कुल चालू चापाकलों की सख्या 60 है। इस प्रकार 87 की जनसंख्या पर एक अदद चालू चापाकल उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानक के अनुसार चापाकल पर्याप्त है। यह राष्ट्रीय मानक की अनिवार्यता के दो गुना से भी ज्यादा है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि खेलारी प्रखंड स्थित खेलारी बाजार काफी धनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहॉ इण्टर कॉलेज, दो उच्च विद्यालय तथा कई मध्य विद्यालय में हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते है?</td><td>स्वीकारात्मक।
इस क्षेत्र में कुल 40 विद्यालय तथा 22 ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि यहॉ बगल में सी0सी0एल0 का खुला खदान भारी बलास्टिंग के चलते उस क्षेत्र का जलस्तर काफी नीचे चला गया, जिसके कारण उस क्षेत्र के सभी कुऑ और चापाकल तथा अन्य जल श्रोत अभी से सुख गये है?</td><td>अस्वीकारात्मक।
खलारी प्रखण्ड का जलस्तर सामान्य है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः–
<table>
<tr><th>क0</th><th>प्रखण्ड</th><th>पंचायत</th><th>टोला</th><th>जलस्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>खलारी</td><td>बुकबुका</td><td>प्रगति नगर</td><td>18.70M</td></tr>
<tr><td>2</td><td>खलारी</td><td>खलारी</td><td>षहीद चौक</td><td>17.50M</td></tr>
<tr><td>3</td><td>खलारी</td><td>हुटाप</td><td>शांतिनगर</td><td>15.00M</td></tr>
<tr><td>4</td><td>खलारी</td><td>चुरी मध्य</td><td>खास</td><td>16.00M</td></tr>
<tr><td>5</td><td>खलारी</td><td>चुरी दक्षिण</td><td>खास</td><td>19.70M</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>क्या यह बात सही है कि उस क्षेत्र के लोग घोर पेयजल संकट से प्रभावित होने के कारण पेयजल के लिए काफी दूर से पानी लाना पड़ रहा है?</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खेलारी बाजार तथा आस–पास के क्षेत्र में मुख्यतः मुण्डा घैड़ा–कृत घैड़ा–रामनगर, शांतिनगर इत्यादि क्षेत्र में डीप बोरिंग करा कर पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>सपही नदी पर आधारित खलारी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्यादेश निर्गत है। कार्यादेश की स्वीकृत राशि 1833.968 लाख रुपये है। लगभग दो वर्ष में योजना पूरी हो जायेगी तत्पश्चात् पेयजल व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। इस योजना अन्तर्गत खलारी के साथ–साथ इस क्षेत्र में अवस्थित 40 अदद विद्यालय तथा 22 अदद आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा। इस योजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि 03.09.2017 है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(अ0सू0)–02/2016(पेय0)– 326/SWSM दिनांक 16/2/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 266 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 16/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(अ0सू0)–02/2016(पेय0)– 326/SWSM दिनांक 16/2/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 16/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(20)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 17–02–2016 को श्री कुणाल षडंगी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–10 की उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री कुणाल षडंगी माननीय स०वि०स०		*उत्तर* माननीय श्री सी० पी० सिंह मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के दूर–दराज के अधिकतर प्रखण्डों का राजधानी राँची के साथ सीधी बस सेवा नहीं होने के कारण आम लोगों को भारी कठिनाई हो रही है;	–	**आंशिक स्वीकारात्मक** झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों के परमिट निर्गत किये जाते हैं जिन पर निजी वाहन मालिकों द्वारा बसों का परिचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा राज्य मार्गो पर अवस्थित ऐसे प्रखण्ड जो परमिट के मार्ग में हैं वहाँ सीधी बस सेवा उपलब्ध है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यातायात की सुविधा के लिए प्रखण्ड मुख्यालय से राजधानी राँची तक सीधी बस सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	–	यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिए "ग्रामीण बस सेवा" आरंभ करने की कार्रवाई की गयी है। इस सेवा के प्रारंभ हो जाने से दूर दराज के क्षेत्र भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा राज्य मार्ग से संबद्ध हो जाएंगे। ग्रामीण बस सेवा परिचालन हेतु झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 में संशोधन करते हुए झारखण्ड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली 2015 अधिसूचित कर दिया गया है। ग्रामीण बस सेवा के अन्तर्गत कुल 364 मार्गो का चयन किया गया है, जिन पर निजी वाहन मालिक आवेदन देकर परमिट प्राप्त कर सकेंगे ।

ह०/–
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–39/2016 327 /राँची,दिनांक 16-2-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक–269 दिनांक 10.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

16/2/16
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग

17.02.2016